कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय - बिहार , पंचदीप भवन,
नेहरू मार्ग, आयकर गोलंबर, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314,
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

विषय- बीमाकृत व्यक्तियों एवं नियोक्ताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों तथा क रा बी अधिनियम 1948 की धारा 75 व 82 के अधीन नियोक्ताओं द्वारा निपटान हेतु दर्ज मामलों की वापसी हेतु एमनेस्टी योजना, 2025 – संबंधी

महोदय/ महोदया,

निगम ने दिनांक 27.06.25 को आयोजित की गई अपनी 196 वीं बैठक में एमनेस्टी योजना के शुभारंभ को अनुमोदन प्रदान किया है:

1. न्यायालय के बाहर वाद-विवाद सुलझाने की प्रक्रिया उपलब्ध कराते हुए मुकदमों की संख्या कम करने के लिए
2. हितधारकों की सद्भावना प्राप्त करने एवं तदोपरांत निगम की साख बढ़ाने के लिए

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, नई एमनेस्टी योजना 2025 दिनांक 31.03.25 तक निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन अनुच्छेद 226 तथा क रा बी अधिनियम की धारा 75 एवं 82 के अधीन न्यायालयीन मामलों एवं क रा बी अधिनियम की धारा 84 एवं 85 के अधीन दायर किए गए अभियोजन के मामलों को वापस लेने का एक अवसर प्रदान करती है ।

क. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 तथा क रा बी अधिनियम 1948 की धारा 82 के अधीन अपील व धारा 75 के अधीन दर्ज किए गए नयायलायीन मामलों का निपटान

i. व्याप्ति का विवाद :

इस योजना में वे सभी मामले शामिल किए जाएंगे जिनमें नियोक्ता ने व्याप्ति पर वाद प्रस्तुत किया है जिनका निपटान निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है :

बंद इकाईयों के मामलों में

- इकाई जो दिनांक 31.03.25 तक 05 वर्षों से अधिक के लिए बंद रहा है।
- दिनांक 31.03.25 को मामला माननीय न्यायालय के समक्ष 05 वर्षों से अधिक समय के लिए लंबित रहा है।
- एमनेस्टी योजना 2025 प्रारंभ होने की तिथि तक समीक्षाधीन विवादित अवधि एवं मुकदमे का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- क्षे.नि./ प्रभारी एमनेस्टी योजना की शर्त के अनुसार वापसी/ निपटान के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष बयान देने के लिए वकील को निर्देश देने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे।

दिनांक 31.03.2025 तक 05 वर्षों के भीतर बंद हुई इकाई

- नियोक्ता व्याप्ति की पुष्टि के लिए रिकार्ड दिखाता है।
- वह स्वीकृत बकाया राशि अर्थात स्वीकृत अंशदान पर अंशदान, ब्याज का भुगतान करता है।
- किसी भी हरजाने का दावा नहीं किया जाएगा।
- ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन अनुमानित आधार पर हुआ है, उन मामलों पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते नियोक्ता स्वीकृत ब्याज के समर्थन में रिकार्ड दिखाता है |

<u>चालू इकाईयों के संबंध में</u>

- यदि इकाई चालू है तथा नियोक्ता आगे की तिथि से गैर-व्याप्ति अथवा व्याप्ति के संबंध में अपनी दलील की पुष्टि के लिए रिकार्ड प्रस्तुत करता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में हरजाने का दावा नहीं किया जाएगा |

 # जिन मामलों में नियोक्ता द्वारा पोर्टल (एस एस पी/ क रा बी नि) पर फॉर्म 10 प्रस्तुत करते हुए स्वयं पंजीकरण किया गया है उन्हें एमनेस्टी योजना मे शामिल नहीं किया जाएगा ।

<u>(ii) अंशदान का विवाद</u>

इस योजना में वे मामले भी शामिल होंगे जिनमें नियोक्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपील की हो अथवा कराबी अधिनियम की धारा 75 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय में धारा 45 ए अथवा धारा 45 एए अथवा अंशदान के निर्धारण अथवा अंशदान की वसूली हेतु,

i. नियोक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करेगा जिसमें उसके द्वारा विवाद उठाया गया है तथा मुकदमे के अधीन मामले के न्यायालय के बाहर निपटान के लिए माननीय न्यायालय की स्वीकृति मांगेगा। यदि न्यायालय अनुमति देता है, तो मामले का निपटान योजना के अनुसार किया जाएगा। नियोक्ता निगम द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

ii. नियोक्ता उनके रिकार्ड के अनुसार कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों के हिस्से का अंशदान एवं संशोधित राशि पर लगने वाला ब्याज भरेगा, जो उसे आकलनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यदि अंशदान प्राक्कलीत मजदूरी पर निर्धारित किया गया है तथा वे अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे ।

iii. यदि नियोक्ता के पास अंशदान के मूल्यांकन हेतु सभी अपेक्षित दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वह वैकल्पिक दस्तावेज़ जैसे – ईपीएफओ तथा आयकर रिकार्ड इत्यादि प्रस्तुत करेगा तथा इन रिकॉर्डों के अनुसार अंशदान का भुगतान करेगा ।

iv. तथापि, यदि नियोक्ता इनमें से किसी भी रिकॉर्डों को प्रस्तुत करने मे सक्षम नहीं है तथा आकलन विनियम 32 रजिस्टर में दी गई मजदूरी से इतर मजदूरी पर किया गया है तो उसे अंशदान के मूल्यांकित राशि से 30% से कम न हो । वैसे मामलों में जहां मामलों का मूल्यांकन मुख्यालय के दिनांक 26.05.2003 के पत्र संख्या पी-11/13/97-बीमा-IV के अनुसार पहले ही किया जा चुका हो अथवा जहां अंशदान का मूल्यांकन वास्तविक आधार पर किया गया हो इस योजना के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आता है ।

v. नियोक्ता संशोधित अंशदान के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा ।

vi. हर्जाना नहीं लगाया जाएगा ।

vii. नियोक्ता निगम को इस आशय की अधिघोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह भविष्य में क रा बी अधिनियम के प्रावधानों का नियमित अनुपालन करेगा अन्यथा ऐसी एमनेस्टी योजना का उपयोग करने का अधिकार छोड़ देगा।

ख. ऐसे मामले जहां नियोक्ता ने लगाए गए हरजाने को वादित किया हो

i. ऐसे मामले भी हैं जहां नियोक्ता ने अंशदान एवं ब्याज का भुगतान करने के उपरांत न्यायालय में लगाए गए हरजाने को वादित किया हो। दिनांक 31.03.25 तक दायर किए गए मामलों पर भी वापसी हेतु विचार किया जा सकता है, बशर्ते नियोक्ता निगम द्वारा निर्धारित हरजाने के 10% का भुगतान करता है। यदि नियोक्ता निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में जाता है, तो क्षे.का./ उ.क्षे.का. माननीय न्यायालय के समक्ष यह बयान दे सकता है कि निगम एमनेस्टी योजना के अंतर्गत हरजाने का 10% स्वीकार कर लेगा ।

ii. इसी तरह यदि निगम ईआई न्यायालय/ उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में जाता है तो नीचे न्यायालय द्वारा आदेशित हरजाने को स्वीकार करना होगा तथा निचले न्यायालय द्वारा आदेशित हरजाने की राशि का भुगतान काने के पश्चात निगम द्वारा मामला वापस लिया जा सकता है ।

ग. क रा बी अधिनियम, 1948 की धारा 84, 85, 85ए के अधीन न्यायालयीन मामलों की वापसी हेतु योजना

1) क रा बी अधिनियम की धारा 84 के अधीन गलत अधिघोषण/बयान देने के कारण हुए अतिरिक्त भुगतान हेतु बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किए गए मामले वापस लिए जा सकते हैं, बशर्ते :

क. बीमाकृत व्यक्ति को की गई अतिरिक्त भुगतान की पूरी राशि उसके द्वारा निगम को वापस कर दी जाए।

ख. कोई ब्याज का दवा नहीं किया जाएगा ।

ग. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस आशय का अधिघोषण भी प्रस्तुत किया जाए कि वो भविष्य में गलत अधिघोषण/ बयान नहीं देगा ।

ङ. जहां बीमाकृत व्यक्ति का पता-ठिकाना मालूम न हो तथा सम्पूर्ण प्रयासों के बाद भी नोटीसें नहीं पहुँच पाती हों, ऐसे सभी मामले जो 05 वर्षों से अधिक समय तक बकाया हों तथा जहां शिकायतें सख्त रूप से क रा बी अधिनियम के अधीन दायर की गई हों, वापस ली जा सकती हैं ।

ङ) आपराधिक साजिश एवं धोखाधड़ी में संलिप्त मामले इस योजना के अंतर्गत व्याप्त नहीं होंगे ।

(2) 31 मार्च 2025 तक क रा बी अधिनियम की धारा 85 एवं 85ए के अधीन नियोक्ता के विरुद्ध दायर किए गए मामले

क रा बी अधिनियम की धारा 85 एवं 85ए के अधीन नियोक्ता के विरुद्ध दायर किए गए अभियोजन के मामले वापस लिए जा सकते हैं बशर्ते :

i) यदि अंशदान का मूल्यांकन अनुमानित मजदूरी पर किया गया है, तो नियोक्ता रिकॉर्डों के अनुसार ब्याज सहित कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों का अंशदान भरेगा जो वह मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।
ii) यदि नियोक्ता के पास संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होंगे तो वह वैकल्पिक साक्ष्य जैसे – ई पी एफ ओ तथा आयकर रिकार्ड इत्यादि प्रस्तुत करेंगे तथा इन रिकॉर्डों के आधार पर अंशदान का भुगतान करेंगे ।
iii) तथापि, यदि नियोक्ता इनमें से कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल राहत है तो वो निम्नलिखित क्रमानुसार आधार पर अंशदान का भुगतान करेगा (अर्थात केवल उन मामलों में जहां विकल्प 'क' उपलब्ध नहीं है, वहन बकाया का अनुमान करने के लिए नीचे क्रमानुसार दिए गए विकल्प का उपयोग किया जाए):

क. जिस माह से चूक प्रारंभ हुई हो उस माह के पूर्ववर्ती माह में भुगतान किए गए मासिक अंशदान की दर
अथवा
ख. प्रपत्र-01 में घोषित मासिक मजदूरी
अथवा
ग. सा. सु. अ. की सर्वेक्षण रिपोर्ट में बतायी गयी मासिक मजदूरी
अथवा
घ.) राज्य/ क्षेत्र में लागू मासिक मजदूरी दर

iv) जिन मामलों में अंशदान का अनुमान वास्तविक आधार पर किया गया हो जो वे इस योजना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे ।
v) नियोक्ता अपने रिकार्ड के अनुसार स्वयं द्वारा भरे गए अंशदान के ब्याज का भुगतान करेगा ।
vi) कोई हर्जाना का दवा नहीं किया जाएगा ।
vii) ऐसे सभी मामलों में जहां नियोक्ता द्वारा बिना किसी विरोध के अंशदान एवं ब्याज का भुगतान किया गया हो उन्हें क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नियोक्ता के अनुरोध का इंतजार किए बिना वापस लिया जाए ।
viii) बशर्ते कि नियोक्ता नियमित रूप से अनुपालन करता रहा हो तथा क रा बी नि के अद्यतन बकाए का भुगतान करता रहा हो।

<u>घ. नई एमनेस्टी योजना 2025 का दायरा निम्नलिखित मामलों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है :</u>

1.) धारा 85 (ए एवं जी) के अधीन दर्ज मामले

ऐसे कई मामले हैं जो दिनांक 31.03.2025 को 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं । ऐसे कई मामलों में संलग्न बकाया न्यायालय में इन मामलों को देखने में लगने वाले मानवसंसाधन एवं व्यय की तुलना में बहुत ही कम है । ऐसे मामलों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वापस लेने का विचार किया जा सकता है :

i) बंद इकाईयों के लिए

क. इकाई बंद हो चुकी है तथा नियोक्ता का पता-ठिकाना मालूम नहीं हो, तथा,
ख. बकाया अंशदान (ब्याज एवं हर्जाने के अतिरिक्त) रु.25000/- से कम हो |

ii) चालू इकाईयों के लिए

क. यदि इकाई चालू है, तो उसे निम्नानुसार अद्यतन अंशदान भरना होगा
ख. बकाया अंशदान (ब्याज एवं हर्जाने के अतिरिक्त) रु.25000/- से कम हो

ग. केवल अंशदान का 30% एवं परिणामी ब्याज का भुगतान किया जाए

2. केवल अंशदान विवरणी की गैर-प्रस्तुति पर धारा 85(ii) के अधीन दर्ज मामले

ऐसे मामले हैं जहाँ कराबीनी ने नियोक्ता पर अंशदान विवरणी की गैर-प्रस्तुति हेतु नियोक्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया है | चूँकि इन मामलों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है तथा अंशदान का भुगतान डिजिटलाइज कर दिया गया है व अर्धवार्षिक विवरणी का प्रावधान अप्रचलित कर दिया गया है, दिनांक 31.03.25 तक दर्ज किये गए ऐसे मामलों पर वापसी के लिए विचार किया जा सकता है :

i. बंद इकाईयों के लिए

क. इकाई बंद हो गई है अथवा नियोक्ता का पता-ठिकाना मालूम न हो, तथा,
ख. नियोक्ता ने रिटर्न की अवधि हेतु अंशदान एवं ब्याज जमा कर दिया हो

ii. बंद इकाईयों के लिए

नियोक्ता ने रिटर्न की सबंधित अवधि हेतु अंशदान व ब्याज जमा कर दिया हो

3. नियोक्ता द्वारा अधिघोषणा प्रपत्र की विलंबित प्रस्तुति वाले मामले भी वापस लिए जा सकते हैं, यदि अनुपालन किया गया हो, दुर्घटना मामलों का निपटान किया गया हो तथा मामला 03 वर्षों से अधिक समय से लंबित हो

ङ. एमनेस्टी के अधीन संबंधित नियोक्ता का मामला यथासंभव पूर्व में अंशदान निर्धारित कर चुके अधिकारी से इतर किसी अन्य अधिकारी को दिया जाए।

च. योजना के अंतर्गत प्रधान नियोक्ता/ बीमाकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन भरने की तिथि के 06 माह के अधीन मामले का निपटान किया जाना अपेक्षित होगा ।

छ. नई एमनेस्टी योजना दिनांक 01.10.25 से 30.09.26 तक प्रभावी रहेगी ।

ज. यह योजना उन नियोक्ताओं/ बीमाकृत व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी जिन्होंने पूर्व में भी इस एमनेस्टी योजना का लाभ लिया हो।

झ. क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशकों/ संयुक्त निदेशकों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे योजना के पैरा क, ख, ग, एवं घ के अनुसार अनुपालन की प्राप्ति होने के पश्चात् संदर्भित मामलों की वापसी/ निपटान की मंजूरी दे सकते हैं |

ट. क्षेत्रीय निदेशक सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से मिलकर इन्हें इस एमनेस्टी योजना के सम्बन्ध में बताएँगे तथा निचले न्यायालयों में कराबीनि द्वारा शुरू की जा रही एमनेस्टी योजना के बारे में बताएँगे | क्षेत्रीय निदेशक निचले न्यायालयों के सबंधित प्राधिकारियों से मिलकर भी उन्हें योजना के बारे में बता सकते हैं।

ठ. ऐसे सभी मामलों की वापसी की समीक्षा हेतु क्षेत्र इकाई के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें उ.नि./स.नि.(विधि), उ.नि./स.नि. (वित्त) तथा वकीलों की एक पीठ शामिल हो।

ड. क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय के अपर आयुक्त एवं संयुक्त निदेशक/ निदेशक (प्र.), संयुक्त निदेशक (प्र.), उप निदेशक (प्र.), को यह सलाह दी जाती है कि स्थानीय अग्रणी समाचारपत्रों में विज्ञापन/ प्रेस रिलीज़ के माध्यम से तथा नियोक्ताओं/बीमाकृत व्यक्तियों एवं ट्रेड यूनियनों इत्यादि के साथ नियमित वार्ताएं/ बैठक करते हुए इस योजना का बृहत् प्रचार-प्रसार किया जाए |

नवीन एमनेस्टी योजना की सामग्री क्षेत्रीय वेबसाइट पर भी डाली जाए | क्षेत्रीय बोर्ड/ स्थानीय समिति/ कर्मचारि यूनियन एवं नियोक्ता संघ के सदस्यों को भी एमनेस्टी योजना की शुरुआत के बारे में बताया जाए |

ढ. अपर आयुक्त एवं संयुक्त निदेशक/ निदेशक (प्र.), संयुक्त निदेशक (प्र.), उप निदेशक (प्र.),कोई भी मामला मुख्यालय को दिशानिर्देश/ निर्देशों हेतु संदर्भित न करें |

ण. योजना के दौरान वकीलों की पीठ को अंशदान की वापसी में उनके योगदान के लिए निम्नानुसार वर्णित पारितोषिक भी दिए जा सकते हैं :

क. धारा 75, 82 एवं 226 के अधीन मामला दर्ज करने पर प्रति मामला रु.2500/- का पारितोषिक

ख. कराबी अधिनियम की धारा 82(ए)(ii) एवं (जी) के अधीन मामला दर्ज करने पर प्रति मामला रु.1000/- का पारितोषिक

ग. इसके अतिरिक्त, नियमानुसार एमनेस्टी योजना संबंधी कार्रवाई से सम्बंधित सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा |

घ. इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 क्षेत्रों को निगम के माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

त. इस सम्बन्ध में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख़ तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।

इसे महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।